

[भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i), में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं. 17/2017-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

नई दिल्ली, 30 जून, 2017

सा.का.नि. (अ)- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना सार्वजनिक हित में आवश्यक है, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की प्रत्येक अधिसूचनाओं को, जो कि निम्न तालिका के कॉलम (2) निर्दिष्ट है, में इस तालिका के कॉलम (3) में तदनुसूची प्रविष्टि के अनुसार संशोधित अथवा और आगे संशोधित, जैसा भी मामला हो, करती है, यथा:-

### तालिका

क्र.सं०.	अधिसूचना संख्या और तारीख	संशोधन
(1)	(2)	(3)
1.	34/2006-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 14 जून, 2006 [ सा.का.नि. संख्या 365 (अ), दिनांक 14 जून, 2006 के द्वारा ]	उक्त अधिसूचना में, प्रारम्भिक पैराग्राफ में -  (क) शब्दों, संख्याओं और कोष्ठकों "अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व का सामान) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) की धारा 3 की उप-धारा (3) और अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (कपड़ा और कपड़े की वस्तुएं) अधिनियम, 1978 (1978 का 40) की धारा 3 की उप-धारा (3) के साथ पठित" को लोपित किया जाएगा;  (ख) उप वाक्य (1) में शब्दों, संख्याओं और कोष्ठकों "केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 (1986 का 5) की

		<p>पहली अनुसूची और द्वितीय अनुसूची" के स्थान पर शब्दों, संख्याओं और कोष्ठकों "केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की चौथी अनुसूची" को प्रतिस्थापित किया जाएगा ।</p> <p>(ग) उप वाक्य (2) और (3) को लोपित किया जाएगा ।</p>
2.	<p>29/2012-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क दिनांक 9 जुलाई, 2012 [सा.का.नि. संख्या 541 (अ), दिनांक 9 जुलाई, 2012]</p>	<p>इस अधिसूचना में, -</p> <p>(क) प्रारम्भिक पैराग्राफ के स्थान पर, निम्नलिखित पैराग्राफ प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा : -</p> <p>"केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि सार्वजनिक हित में ऐसा करना आवश्यक है, उक्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की चौथी अनुसूची में विनिर्दिष्ट माल को, जब विदेश व्यापार नीति के अनुच्छेद 3.15 के अनुसरण में क्षेत्रीय प्राधिकरण द्वारा किसी निर्यातक को जारी किए गए फोकस प्रोडक्ट स्कीम पर्ची (एतश्मिन पश्चात् कथित पर्ची के रूप में संदर्भित) के विरुध निकासी की जाती है, इस केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की चौथी अनुसूची के अंतर्गत उस पर उद्ग्रहित सम्पूर्ण उत्पाद शुल्क से एतद्द्वारा छूट प्रदान करती है ।";</p> <p>(ख) पैराग्राफ 2 में, शर्त (ज) के स्थान पर, निम्नलिखित शर्त प्रतिस्थापित की जाएगी, यथा: -</p> <p>“ (ज) यह कि कथित पर्ची का धारक जिसको वस्तुओं की निकासी की गई, कथित पर्ची में डेबिट की गई और निकासी के समय वैधिकृत धनराशि के विरुध केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की चौथी अनुसूची के अंतर्गत उद्ग्रहणीय उत्पाद शुल्क के सेनवैट क्रेडिट या प्रतिअदायगी का लाभ उठाने</p>

		का हकदार होगा।“
3.	30/2012-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 9 जुलाई, 2012 [ सा.का.नि. संख्या 542 (अ), दिनांक 9 जुलाई, 2012]	<p>इस अधिसूचना में, -</p> <p>(क) प्रारम्भिक पैराग्राफ के स्थान पर, निम्नलिखित पैराग्राफ प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा: -</p> <p>"केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि सार्वजनिक हित में ऐसा करना आवश्यक है, इस केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की चौथी अनुसूची में विनिर्दिष्ट माल को, जब विदेश व्यापार नीति के अनुच्छेद 3.14 के अनुसरण में क्षेत्रीय प्राधिकरण द्वारा किसी निर्यातक को जारी किए गए फोकस मार्केट स्कीम पर्ची (एतश्मिन पश्चात् कथित पर्ची के रूप में संदर्भित) के विरुध निकासी की जाती है, उक्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की चौथी अनुसूची के अंतर्गत इस पर उद्ग्रहित सम्पूर्ण उत्पाद शुल्क से एतद्द्वारा छूट प्रदान करती है।";</p> <p>(ख) पैराग्राफ 2 में, शर्त (ज) के स्थान पर, निम्नलिखित शर्त प्रतिस्थापित की जाएगी, यथा: -</p> <p>“ (ज) कि कथित पर्ची का धारक जिसको वस्तुओं की निकासी की गई, कथित पर्ची में डेबिट की गई और निकासी के समय वैधिकृत धनराशि के विरुध केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की चौथी अनुसूची के अंतर्गत उद्ग्रहणीय उत्पाद शुल्क के सेनवैट क्रेडिट या प्रतिअदायगी का लाभ उठाने का हकदार होगा।“</p>
4.	32/2012-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क दिनांक 9 जुलाई,	<p>इस अधिसूचना में, -</p> <p>(क) प्रारम्भिक पैराग्राफ के स्थान पर, निम्नलिखित पैराग्राफ</p>

	<p>2012 [सा.का.नि. संख्या 544 (अ), दिनांक 9 जुलाई, 2012]</p>	<p>प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा: -</p> <p>"केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5 क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि सार्वजनिक हित में ऐसा करना आवश्यक है, इस केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की चौथी अनुसूची में विनिर्दिष्ट माल को, जब विदेश व्यापार नीति के अनुच्छेद 3.13.2 के अनुसरण में क्षेत्रीय प्राधिकरण द्वारा किसी निर्यातक को जारी किए गए विशेष कृषि और ग्राम उद्योग योजना (विशेष कृषि और ग्राम उद्योग योजना) पर्ची (एतश्मिन पश्चात् कथित पर्ची के रूप में संदर्भित) के विरुद्ध निकासी की जाती है, इस केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की चौथी अनुसूची के अंतर्गत इस पर उद्ग्रहित सम्पूर्ण उत्पाद शुल्क से एतद्द्वारा छूट प्रदान करती है।";</p> <p>(ख) पैराग्राफ 2 में, शर्त (ज) के स्थान पर, निम्नलिखित शर्त प्रतिस्थापित की जाएगी, यथा: -</p> <p>“ (ज) कि कथित पर्ची का धारक जिसको वस्तुओं की निकासी की गई, कथित पर्ची में डेबिट की गई और निकासी के समय वैधिकृत धनराशि के विरुद्ध केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की चौथी अनुसूची के अंतर्गत उद्ग्रहणीय उत्पाद शुल्क के सेनवैट क्रेडिट या प्रतिअदायगी का लाभ उठाने का हकदार होगा।”</p>
<p>5.</p>	<p>2/2013- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क दिनांक 18 फ़रवरी 2013 [ सा.का.नि. संख्या 101 (अ),</p>	<p>इस अधिसूचना में, -</p> <p>(क) प्रारम्भिक पैराग्राफ के स्थान पर, निम्नलिखित पैराग्राफ प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा: -</p> <p>"केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते</p>

	<p>दिनांक 18 फरवरी 2013]</p>	<p>हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि सार्वजनिक हित में ऐसा करना आवश्यक है, इस केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की चौथी अनुसूची में विनिर्दिष्ट माल को, जब विदेश व्यापार नीति के अध्याय 5 (निर्यात सम्वर्द्धन पूंजीगत माल योजना) के अंतर्गत अनुच्छेद 5.11 जिसमें पूरा किये गये निर्यात देयता के अनुपात में शुल्क में वापसी का प्रावधान है, के अनुसरण में क्षेत्रीय प्राधिकरण द्वारा जारी की गई किसी निर्यात-पर्यन्त निर्यात सम्वर्द्धन पूंजीगत माल शुल्क क्रेडिट स्क्रिप (0% निर्यात सम्वर्द्धन पूंजीगत माल संस्करण) (एतश्मिन पश्चात् कथित स्क्रिप के रूप में संदर्भित) के विरुध निकासी की जाती है तो इस केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की चौथी अनुसूची के अंतर्गत उस पर उद्ग्रहित सम्पूर्ण उत्पाद शुल्क से एतद्द्वारा छूट प्रदान करती है । ";</p> <p>(ख) पैराग्राफ 2 में, शर्त (ज) के स्थान पर, निम्नलिखित शर्त प्रतिस्थापित की जाएगी, यथा: -</p> <p>“(ज) कि कथित स्क्रिप का धारक जिसको वस्तुओं की निकासी की गई, कथित स्क्रिप में डेबिट की गई और निकासी के समय वैधिकृत धनराशि के विरुध केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की चौथी अनुसूची के अंतर्गत उद्ग्रहणीय उत्पाद शुल्क के सेनवैट क्रेडिट या प्रतिअदायगी का लाभ उठाने का हकदार होगा।”</p>
<p>6.</p>	<p>3/2013-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 18, फरवरी, 2013 [ सा.का.नि. संख्या 102 (अ), दिनांक 18 फरवरी 2013]</p>	<p>इस अधिसूचना में, -</p> <p>(क) प्रारम्भिक पैराग्राफ के स्थान पर, निम्नलिखित पैराग्राफ प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा: -</p> <p>"केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि सार्वजनिक हित में ऐसा करना आवश्यक है, इस केन्द्रीय उत्पाद शुल्क</p>

		<p>अधिनियम की चौथी अनुसूची में विनिर्दिष्ट माल को, जब विदेश व्यापार नीति के अध्याय 5 (निर्यात सम्बर्द्धन पूंजीगत माल योजना) के अंतर्गत अनुच्छेद 5.11 जिसमें पूरा किये गये निर्यात देयता के अनुपात में शुल्क में वापसी का प्रावधान है, के अनुसरण में क्षेत्रीय प्राधिकरण द्वारा जारी की गई किसी निर्यात-पर्यन्त निर्यात सम्बर्द्धन पूंजीगत माल शुल्क क्रेडिट स्क्रिप (3% निर्यात सम्बर्द्धन पूंजीगत माल संस्करण) (एतश्मिन पश्चात् कथित स्क्रिप के रूप में संदर्भित) के विरुध निकासी की जाती है तो इस केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की चौथी अनुसूची के अंतर्गत उस पर उद्ग्रहित सम्पूर्ण उत्पाद शुल्क से एतद्द्वारा छूट प्रदान करती है । ";</p> <p>(ख) पैराग्राफ 2 में, शर्त (ज) के स्थान पर, निम्नलिखित शर्त प्रतिस्थापित की जाएगी, यथा: -</p> <p>“(ज) कि कथित स्क्रिप का धारक जिसको वस्तुओं की निकासी की गई, कथित स्क्रिप में डेबिट की गई और निकासी के समय वैधिकृत धनराशि के विरुध केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की चौथी अनुसूची के अंतर्गत उद्ग्रहणीय उत्पाद शुल्क के सेनवैट क्रेडिट या प्रतिअदायगी का लाभ उठाने का हकदार होगा।”</p>
7.	<p>14/2013-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 18 अप्रैल, 2013</p> <p>[ सा.का.नि. संख्या 251 (अ), दिनांक 18 अप्रैल, 2013]</p>	<p>इस अधिसूचना में, -</p> <p>(क) प्रारम्भिक पैराग्राफ के स्थान पर, निम्नलिखित पैराग्राफ प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा: -</p> <p>"केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5 क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि सार्वजनिक हित में ऐसा करना आवश्यक है, इस केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की चौथी अनुसूची में विनिर्दिष्ट माल को,</p>

		<p>जब विदेश व्यापार नीति के अध्याय 5 (निर्यात सम्वर्द्धन पूंजीगत माल योजना) के अंतर्गत अनुच्छेद 5.11 जिसमे पूरा किये गये निर्यात देयता के अनुपात मे शुल्क मे वापसी का प्रावधान है, के अनुसरण में क्षेत्रीय प्राधिकरण द्वारा जारी की गई किसी निर्यात-पर्यन्त निर्यात सम्वर्द्धन पूंजीगत माल शुल्क क्रेडिट स्क्रिप (एतश्मिन पश्चात् उक्त स्क्रिप के रूप में संदर्भित) के विरुध निकासी की जाती है तो इस केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की चौथी अनुसूची के अंतर्गत उस पर उद्ग्रहित सम्पूर्ण उत्पाद शुल्क से एतद्द्वारा छूट प्रदान करती है । ";</p> <p>(ख) पैराग्राफ 2 में, शर्त (ज) के लिए, निम्नलिखित शर्त प्रतिस्थापित की जाएगी, यथा -</p> <p>“ (ज) कि उक्त स्क्रिप का धारक जिसको वस्तुओं की निकासी की गई, उक्त स्क्रिप में डेबिट की गई और निकासी के समय वैधिकृत धनराशि के विरुध केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की चौथी अनुसूची के अंतर्गत उद्ग्रहणीय उत्पाद शुल्क के सेनवैट क्रेडिट या प्रतिअदायगी का लाभ उठाने का हकदार होगा ।“</p>
8.	18/2015-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क दिनांक 1 अप्रैल 2015 [सा.का.नि. संख्या 250 (अ), दिनांक 1 अप्रैल, 2015]	<p>इस अधिसूचना में, -</p> <p>(क) प्रारम्भिक पैराग्राफ के स्थान पर, निम्नलिखित पैराग्राफ प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा: -</p> <p>"केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि सार्वजनिक हित में ऐसा करना आवश्यक है, इस केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की चौथी अनुसूची में विनिर्दिष्ट माल को, जब विदेश व्यापार नीति के अनुच्छेद 5.12 जिसमे पूरा किये गये निर्यात देयता के अनुपात मे शुल्क मे वापसी का प्रावधान है,</p>

		<p>के अनुसरण में क्षेत्रीय प्राधिकरण द्वारा जारी की गई किसी निर्यात-पर्यन्त निर्यात सम्बर्द्धन पूंजीगत माल शुल्क क्रेडिट स्क्रिप (एतश्मिन पश्चात् उक्त स्क्रिप के रूप में संदर्भित) के विरुध निकासी की जाती है तो इस केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की चौथी अनुसूची के अंतर्गत उस पर उद्ग्रहित सम्पूर्ण उत्पाद शुल्क से एतद्द्वारा छूट प्रदान करती है ।;</p> <p>(ख) पैराग्राफ 2 में, शर्त (ज) के स्थान पर, निम्नलिखित शर्त प्रतिस्थापित की जाएगी, यथा -</p> <p>“ (ज) कि उक्त स्क्रिप का धारक जिसको वस्तुओं की निकासी की गई, उक्त स्क्रिप में डेबिट की गई और निकासी के समय वैधिकृत धनराशि के विरुध केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की चौथी अनुसूची के अंतर्गत उद्ग्रहणीय उत्पाद शुल्क के सेनवैट क्रेडिट या प्रतिअदायगी का लाभ उठाने का हकदार होगा।”</p>
9.	<p>20/2015-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 8 अप्रैल, 2015 [सा.का.नि. संख्या 271 (अ), दिनांक 8 अप्रैल, 2015]</p>	<p>इस अधिसूचना में, -</p> <p>(क) प्रारम्भिक पैराग्राफ के स्थान पर, निम्नलिखित पैराग्राफ प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा: -</p> <p>"केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि सार्वजनिक हित में ऐसा करना आवश्यक है, इस केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की चौथी अनुसूची में विनिर्दिष्ट माल को, जब विदेश व्यापार नीति के अनुच्छेद 3.05 के साथ पठित अनुच्छेद 3.04 के अनुसरण में भारत से मर्केडाइज निर्यात स्कीम के अंतर्गत क्षेत्रीय प्राधिकरण द्वारा जारी की गई किसी शुल्क जमा पर्ची (एतश्मिन पश्चात् उक्त पर्ची के रूप में संदर्भित) के विरुध निकासी जाती है तो इस केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की चौथी अनुसूची के अंतर्गत उस पर</p>



		<p>उद्ग्रहित सम्पूर्ण उत्पाद शुल्क से एतद्द्वारा छूट प्रदान करती है।" ;</p> <p>(ख) पैराग्राफ 2 में, शर्त (7) के स्थान पर, निम्नलिखित शर्त प्रतिस्थापित की जाएगी, यथा : -</p> <p>“(7) यह कि उक्त पर्ची का धारक जिसको वस्तुओं की निकासी की गई, उक्त पर्ची में डेबिट की गई और निकासी के समय वैधिकृत धनराशि के विरुद्ध केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की चौथी अनुसूची के अंतर्गत उद्ग्रहणीय उत्पाद शुल्क के सेनवैट क्रेडिट या प्रतिअदायगी का लाभ उठाने का हकदार होगा।”</p>
10.	<p>21/2015-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 8 अप्रैल, 2015 [ सा.का.नि. संख्या 272 (अ), दिनांक 8 अप्रैल, 2015]</p>	<p>इस अधिसूचना में, -</p> <p>(क) प्रारम्भिक पैराग्राफ के स्थान पर, निम्नलिखित पैराग्राफ प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा : -</p> <p>"केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि सार्वजनिक हित में ऐसा करना आवश्यक है, इस केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की चौथी अनुसूची में विनिर्दिष्ट माल को, जब विदेश व्यापार नीति के अनुच्छेद 3.08 के साथ पठित अनुच्छेद 3.10 के अंतर्गत क्षेत्रीय प्राधिकरण द्वारा जारी की गई भारतीय योजना के तहत सेवाओं का निर्यात शुल्क जमा पर्ची (एतश्मिन पश्चात् उक्त पर्ची के रूप में संदर्भित) के विरुद्ध निकासी की जाती है तो इस केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की चौथी अनुसूची के अंतर्गत उस पर उद्ग्रहित सम्पूर्ण उत्पाद शुल्क से एतद्द्वारा छूट प्रदान करती है।";</p> <p>(ख) पैराग्राफ 2 में, शर्त (7) के स्थान पर, निम्नलिखित शर्त प्रतिस्थापित की जाएगी, यथा : -</p>

		<p>“ (7) यह कि उक्त पर्ची का धारक जिसको वस्तुओं की निकासी की गई, उक्त पर्ची में डेबिट की गई और निकासी के समय वैधिकृत धनराशि के विरुध केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की चौथी अनुसूची के अंतर्गत उद्ग्रहणीय उत्पाद शुल्क के सेनवैट क्रेडिट या प्रतिअदायगी का लाभ उठाने का हकदार होगा।”</p>
--	--	--

2. यह अधिसूचना 1 जुलाई, 2017 से लागू होगी ।

[फा.सं. 605/28/2017-डीबीके]

(आनंद कुमार झा)  
अवर सचिव, भारत सरकार

टिपपणी: (i) प्रधान अधिसूचना संख्या 34/2006-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 14 जून, 2006 सा.का.नि. संख्या 365(अ), दिनांक 14 जून, 2006 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- II, खण्ड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित की गई थी और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 17/2013-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 16 मई, 2013, जिसे सा.का.नि. संख्या 315(अ), दिनांक 16 मई, 2013 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- II, खण्ड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया था ।

(ii) प्रधान अधिसूचना संख्या 29/2012-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 9 जुलाई, 2012 सा.का.नि. संख्या 541 (अ), 9 जुलाई, 2012 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- II, खण्ड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित की गई थी और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 17/2013-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 16 मई, 2013, जिसे सा.का.नि. संख्या 315(अ), दिनांक 16 मई, 2013 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- II, खण्ड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया था ।

(iii) प्रधान अधिसूचना संख्या 30/2012-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 9 जुलाई, 2012 सा.का.नि. संख्या 542(अ), दिनांक 9 जुलाई, 2012 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- II, खण्ड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित की गई थी और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 5/2014-केन्द्रीय उत्पाद

शुल्क, दिनांक 24 फरवरी, 2014, जिसे सा.का.नि. संख्या 106(अ), दिनांक 24 फरवरी, 2014 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- II, खण्ड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया था ।

(iv) प्रधान अधिसूचना संख्या 32/2012-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 9 जुलाई, 2012 सा.का.नि. संख्या 544 (अ), 9 जुलाई, 2012 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- II, खण्ड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित की गई थी और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 17/2013-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 16 मई, 2013, जिसे सा.का.नि. संख्या 315(अ), दिनांक 16 मई, 2013 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- II, खण्ड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया था ।

(v) प्रधान अधिसूचना संख्या 2/2013-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 18 फरवरी, 2013 सा.का.नि. संख्या 101 (अ), दिनांक 18 फरवरी, 2013 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-धारा (i) में प्रकाशित की गई थी ।

(vi) प्रधान अधिसूचना संख्या 3/2013-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 18 फरवरी, 2013 सा.का.नि. संख्या 102 (अ), दिनांक 18 फरवरी, 2013 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-धारा (i) में प्रकाशित की गई थी ।

(vii) प्रधान अधिसूचना संख्या 14/2013-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 18 अप्रैल, 2013 सा.का.नि. संख्या 251 (अ), दिनांक 18 अप्रैल, 2013 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-धारा (i) में प्रकाशित की गई थी ।

(viii) प्रधान अधिसूचना संख्या 18/2015-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 1 अप्रैल, 2015 सा.का.नि. संख्या 250 (अ), दिनांक 1 अप्रैल, 2015 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-धारा (i) में प्रकाशित की गई थी ।

(xi) प्रधान अधिसूचना संख्या 20/2015-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 8 अप्रैल, 2015 सा.का.नि. संख्या 271 (अ), दिनांक 8 अप्रैल, 2015 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-धारा (i) में प्रकाशित की गई थी ।

(x) प्रधान अधिसूचना संख्या 21/2015-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 8 अप्रैल, 2015 सा.का.नि. संख्या 272 (अ), दिनांक 8 अप्रैल, 2015 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-धारा (i) में प्रकाशित की गई थी ।